न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-355/2019

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 201

सरकार

बनाम

(1) श्रवण कुमार, पे0-नरेश पाल, सा0-डुमरिया,
वार्ड सं0-15, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया

(2) रामेश्वर पाल, पिता-संतु पाल
सा0-डुमरिया, वार्ड नं0-15, पो0-पलासी, थाना-नरपतगंज
जिला-अररिया,
(मोटर साईकिल सुपर स्पलेंडर रजिस्ट्रेशन सं0-BR38F2724,
ईंजन सं0-JA05EE9B10087,
चेसीस सं0-MBLJA05EME9B09284 का मालिक) ....विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
12.09.2020		

इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 3390/हि0शा0, दिनांक 08.12.2019) के आलोक में जोगबनी थाना कांड संख्या-222/2019, दिनांक-02.08.2019, धारा-30(क)/38(i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त सुपर स्पलेंडर मोटर साईकिल पंजीयन संख्या- BR38F2724, ईंजन सं0-JA05EE9B10087, चेसीस सं0-MBLJA05EME9B09284 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षी सं0-01 को जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी संख्या-02 की ओर से सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-20810/2019 (रामेश्वर पाल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक-09.01.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ जोगबनी थाना कांड संख्या-222/2019 में जब्त सुपर स्पलेंडर मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR38F2724, ईंजन सं0-JA05EE9B10087, चेसीस सं0-MBLJA05EME9B09284 की विमुक्ति हेतु दिनांक-29.02.2020 को एक आवेदन दाखिल किया गया।

(2) विपक्षियों की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 3390/हि0शा0, दिनांक 08.12.2019), विपक्षी सं0-02 का आवेदन दिनांक 29.02.2020, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-20810/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा अभिलेख के साथ संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया।

(3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष, जोगबनी थाना द्वारा दिनांक 02.08.2019 को मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0-BR38F2724 को पकड़ा गया। विपक्षी सं0-01 मोटर साईकिल से उतरकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस बल द्वारा उन्हें पकड़ा गया। दो स्वतंत्र गवाहों-1. आबिद अंसारी, पे0-सेराजुल अंसारी, सा0-बेचु टोला, दक्षिण महेश्वरी, वार्ड सं0-18 तथा 2. नुर मोहम्मद, पे0-मो0 मुस्लीम अंसारी, सा0-हाजीगंज, वार्ड सं0-03, थाना-जोगबनी, जिला-अररिया के समक्ष मोटर साईकिल की तलाशी ली गई। गाड़ी की डिक्की से कुल-45 बोतल डाईलैक्स डी0सी0 कोडीनयुक्त कफसीरप (प्रत्येक 100 एम0एल0) बरामद हुआ। बरामद मोटर साईकिल एवं कोडीनयुक्त कफ सीरफ को थानाध्यक्ष, जोगबनी द्वारा विधिवत् जब्त किया गया। विपक्षियों के विरूद्ध जोगबनी थाना कांड संख्या-222/2019, दिनांक-02.08.2019, धारा-30(क)/38(i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद

अधिनियम दर्ज किया गया। विपक्षियों द्वारा जब्त वाहन का उपयोग अवैध मादक द्रव्य को ढ़ोने के लिए किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि विपक्षी सं0-02 के आवेदन दिनांक 29.02.2020 को अस्वीकृत किया जाय तथा जब्त सुपर स्पलेंडर मोटर साईकिल पंजियन संख्या- BR38F2724. इंजन सं0-JA05EE9B10087, चेसीस सं0-MBLJA05EME9B09284 को राजसात किया जाय।

(4) विपक्षी सं0-02 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 29.02.2020 के अनुसार विपक्षी सं0-02 जब्त वाहन का वास्तविक मालिक है। वाहन से संबंधित आवश्यक कागजात विपक्षी सं0-02 के पास उपलब्ध है। विपक्षी सं0-02 ने सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-20810/2019 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2020 की प्रमाणित प्रति के साथ जब्त वाहन की विमुक्ति हेतु दिनांक-29.02.2020 को उपस्थित होकर आवेदन दाखिल किया है। जब्त वाहन का उपयोग अवैध मादक द्रव्य को ढ़ोने के लिए नहीं किया गया है। वाहन से कोई अवैध मादक द्रव्य बरामद नहीं हुआ है। जब्त कथित मादक द्रव्य से विपक्षी सं0-02 को कोई संबंध सरोकार नहीं है। जब्त मोटर साईकिल जोगबनी थाना परिसर में खुले आसमान के नीचे खड़ी है। मोटर साईकिल खराब हो रही है। मोटर साईकिल राजसात होने योग्य नहीं है। विपक्षी संख्या-2 निर्दोष है। उनकी प्रार्थना है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जब्त मोटर साईकिल को विमुक्त करने का आदेश दिया जाय।

(5) सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-20810/2019(रामेश्वर पाल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2020 के मुख्य अंश का अवतरण निम्नलिखित है-

" The petition filed on 15.10.2019 is listed for hearing for the first time today before the Court.

Heard learned counsel for the petitioner and learned counsel appearing on behalf of the State.

With the consent of the learned counsel for the parties, the writ petition stands disposed of in the following terms.

The petitioner prays for provisional release of Hero Super Splender bearing Registration No. BR 38F 2724 which has been seized in connection with Jogbani P. S. Case No. 222 of 2019, for the offences punishable under Sections 30(a), 38(i) of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.

It is continued practice of this Court that in cases of drunken driving; no recovery from the vehicle; recovery of less than commercial quantity; where ex-facie, vehicle is not liable to be confiscated; where there is inordinate delay in initiating proceedings for confiscation of the vehicle etc., this Court has been directing the State to provisionally release vehicle/property, subject to initiation/conclusion/finalisation of the confiscatory proceedings, as the case may be. Reference can be made to the judgments/ orders passed by different coordinate Benches of this Court, viz:-

----------X----------X----------X----------X----------

Without adjudicating the petitioner's petition on merits, we are of the considered view that interest of justice would be best met, if the petition is disposed of in the following terms:-

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

(a) Since the vehicle in question stands seized in relation to the FIR which stood registered long ago, in case confiscation proceeding has not been initiated, it must be initiated within a period of 15 days from today and that confiscation proceeding stands initiated, we direct the appropriate authority under the Act to forthwith ensure that such proceedings be concluded not later than 30 days.

(b) The petitioner undertakes to make himself available in the office of the concerned appropriate authority empowered under Section 58 of the Act i.e. District Collector, in his/her office on 24.01.2020 at 10:30 A.M.

(c) We further direct the appropriate authority to positively conclude the confiscation proceeding within next thirty days on appearance of the petitioner. If for whatever reason, such proceeding cannot be concluded, in that event it shall be open for the authority to take such measures, as are permissible in law, for release of the vehicle in question by way of interim measure, on such terms as may be deemed appropriate, considering the attending facts and circumstances of the case. next thirty days on appearance of the petitioner. If for whatever reason, such proceeding cannot be concluded, in that event it shall be open for the authority to take such measures, as are permissible in law, for release of the vehicle in question by way of interim measure, on such terms as may be deemed appropriate, considering the attending facts and circumstances of the case.

(d) If eventually, the appropriate authority arrives at a conclusion that the property is not liable to be confiscated, it shall be open for the petitioner to seek damages in accordance with law and have appropriate proceedings initiated against the erring officials/officers.

Learned counsel for the petitioner states that the certified copy of the order shall be made available to the concerned District Collector on the date so fixed.

For future guidance, where parties have not approached this Court, we issue the following direction:-

The expression "reasonable delay" used in Section 58 of Chapter VI of the Act, in our considered view, necessarily has to be within a reasonable time and with dispatch, which period, in our considered view, three months time is sufficient enough for any authority to adjudicate any issue, more so, when we are dealing with confiscatory proceedings.

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

We clarify that we have not adjudicated the writ petition on merits and it shall be open for the parties to take all stand in the adjudicatory proceedings and wherever parties are aggrieved, it shall be open to them to initiate appropriate proceeding before the appellate authority.

Learned counsel for the State also undertakes to communicate the order to the concerned appropriate authority Learned counsel for the State also undertakes to communicate the order to the concerned appropriate authority i.e. District Magistrate, empowered under Section 58 of the Act."

(6) विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 3390/हि0शा0, दिनांक 08.12.2019), माननीय उच्च न्यायायल, पटना के आदेश दिनांक 09.01.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि जोगबनी थाना कांड संख्या-222/19, दिनांक 02.08.2019, धारा-30(क)/38(i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में बरामद शराब एवं वाहन को पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष, जोगबनी थाना द्वारा विधिवत् जब्त किया गया है। जब्त सुपर स्पलेंडर मोटर साईकिल का उपयोग कुल-45 बोतल प्रति बोतल 100 मिली लीटर डाईलैक्स डी0सी0 कोडीनयुक्त कफसीरप को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में किया गया है। जब्त कफ सीरप का कोई दावेदार इस न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है। जब्त मोटर साईकिल को विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्षी सं0-02 का आवेदन दिनांक-29.02.2020 मनगढ़ंत एवं गलत है तथा अस्वीकृत होने योग्य है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त वाहन राजसात होने योग्य है। तदनुसार विपक्षी सं0-02 के आवेदन दिनांक-29.02.2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है तथा जोगबनी थाना कांड संख्या-222/19, दिनांक-02.08.2019, धारा-30(क)/38(i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त सुपर स्पलेंडर मोटर साईकिल पंजियन संख्या- BR38F2724, ईंजन सं0- JA05E E9B 10087, चेसीस सं0-MBLJA05EME9B09284 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत **राजसात(Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरुप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 1879 विधि, अररिया, दिनांक 14.9.2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता, अररिया